न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

प्रा0पत्र संख्या– 42/23 तारीख रज्जू–12/09/23

1 गोविन्दी देवी पत्नि मोतीलाल उम्र 72 वर्ष जाति मीना निवासी बाटोदा तहसील बरनाला।

----अपीलान्ट

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र मोतीलाल उम्र 50 वर्ष जाति मीना निवासी बाटोदा तहसील बरनाला।
2. संरपच ग्राम पंचायत बाटोदा पंचायत समिति बामनवास ।

–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 14/05/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बाटोदा के पट्टा सं0 15 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। उक्त पट्टे द्वारा संरपच ग्राम पंचायत बाटोदा ने अप्रार्थी सं0 1 के हक में पट्टा जारी किया है, साथ ही प्रार्थी ने पट्टा सं0 15 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 निगरानीकर्ता के पुत्र है। निगरानीकर्ता के पति व अप्रार्थी सं0 1 के पिता मोतीलाल की मृत्यु हो चुंकी है। निगरानीकर्त्ता के पति व अप्रार्थी सं0–1 के पूर्वज स्व0 श्री मोतीलाल के स्वामित्व व आधिपत्य का एक आवासीय पैतृक भूखण्ड स्थित ग्राम बाटोदा तहसील बरनाला रहा है।उक्त सम्पत्ति निगरानीकर्त्ता ,अप्रार्थी सं0 1 व अन्य पुत्र पुत्रियों की संयुक्त सम्पत्ति रही है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त सम्पत्ति को हडपने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध तरीके से निगरानीकर्त्ता की बिना सहमति के बदनीयति पूर्वक वाद ग्रस्त भूखण्ड का पट्टा बनवा लिया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उभय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय में राजीनामा हो गया है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जबाब में स्वयं अंकित किया है कि पक्षकारान में मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 में मध्य तय हुआ है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड को शामिल करते हुए दिनांक 25.11.2010 को प्रार्थिया की बिना सहमति के ग्राम पंचायत बाटोदा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने में अप्रार्थी सं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 1 स्वयं ने निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार करने हेतु सहमति व्यक्त की है, साथ ही वकील प्रार्थी ने पट्टा सं0 15 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी सं0 1 स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दौराने बहस निवेदन किया कि हमारा राजीनामा हो गया है। अतः निगरानीकर्त्ता प्रार्थीया की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा निरस्त

14/5/24

करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है , साथ ही अप्रार्थी सं0 1 ने पट्टा सं0 15 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है तथा अप्रार्थी सं0 2 ने दौराने बहस उक्त पट्टा निरस्त करने के संबंध में अपनी अनापत्ति जाहिर की है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में उभय पक्षों ने निगरानी स्वीकार करते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली में संलग्न मा0 सिविल न्यायाधीश बामनवास के प्रकरण सं0 40/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22/08/2023 के अनुसार उभय पक्षों के राजीनामा के आधार पर दिनांक 25.11.2010 को बनवाये गये पट्टे को जिसे दिनांक 29.12.2010 को रजिस्टर्ड करवाया गया है, को निरस्त किया गया है। चुकि उक्त प्रकरण में विवादित पट्टे को निरस्त करने हेतु उभय पक्षों ने अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मा0 सिविल न्यायायलय द्वारा भी राजीनामा के आधार पर दिनांक 25.11.2010 को बनवाये गये पट्टे को जिसे दिनांक 29.12.2010 को रजिस्टर्ड करवाया गया है, को भी निरस्त किया जा चुका है, साथ ही अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई आपत्ति तथा कथन दौराने बहस प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगारानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बाटोदा के पट्टा सं0 15 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी